डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] रायपुर, शनिवार , दिनांक 22 सितम्बर 2001—भाद्र 31, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक 4831/21-अ/प्रारुपण/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 14-9-2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उब्बोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम :

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 22 सन् 2001) है.

धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जायें, अर्थात् :—

"परन्तु जीवनकाल कर का उद्ग्रहण, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर, उसमें विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों के संबंध में किया जायेगा."

धारा 14 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में शब्द, "धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक" के स्थान पर, शब्द "द्वितीय अनुसूची" स्थापित किया जाये.

प्रथम अनुसूची का संशोधन. 4. (1) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार की मद (घ) के खण्ड (1) के उपखण्ड (एक) (क) तथा (ख), खण्ड (2) के उपखण्ड (एक), खण्ड (3) के उपखण्ड (दो) (क) तथा (ख) तथा खण्ड (4) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किये जायें, अर्थात :—

"(घ)—ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, नगर मार्गों से भिन्न मार्गों पर प्रक्रम वाहन के रूप में चलाये जा रहे हों :—

(1) वातानुकूलित या डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(एक) 100 किलोमीटर से अनधिक—

(क)	वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए	रुपये 250 प्रतिशीट प्रति मास
(ख)	एक्सप्रेस सेवा के लिए	रुपये 200 प्रतिशीट प्रति मास

(2) साधारण सेवा के रूप में चलाने के अनुज्ञात यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(एक) 100 किलोमीटर से अनधिक — रुपये 160 प्रतिसीट प्रति मास

(3) वातानुकूलित/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए यह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र—

(दो) पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है—

(क)	वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए	रुपये 40 प्रतिसीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलो मीटर या उसके भाग के लिए रुपये 20 प्रतिसीट प्रति मास.
(ख)	एक्सप्रेस सेवा के लिए	रुपये 40 प्रतिसीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलो मीटर या उसके भाग के लिए रुपये 15 प्रतिसीट प्रति मास.

(4) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र—

(दो)	पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है—	रुपये 40 प्रतिसीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलो मीटर या उसके भाग के लिये रुपये 10 प्रतिसीट प्रति मास."

(2) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार के उप मद (च) के खण्ड (1) तथा (6) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(1) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किये गये "ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट" के अंतर्गत ठेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है—

(क) मेक्सी केब से भिन्न टूरिस्ट यान—

(एक) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-128 के उपनियम (10) के अधीन निम्नलिखित बैठने की व्यवस्था के साथ वाहनों के लिए—

(क)	दो तथा दो सीट व्यवस्था	रुपये 800 प्रतिसीट प्रति मास
(ख)	दो तथा एक सीट व्यवस्था	रुपये 950 प्रतिसीट प्रति मास
(ग)	एक तथा एक सीट व्यवस्था	रुपये 1250 प्रतिसीट प्रति मास

(दो)	वातानुकूलित टूरिस्ट बस (किसी भी अनुज्ञात बैठक व्यवस्था के लिये)	रुपये 950 प्रतिसीट प्रति मास

(ख) मेक्सी केब टूरिस्ट यान— रुपये 125 प्रतिसीट प्रति मास.

(6) ऐसे यान जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मंजूर किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रतिसीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है. — अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए साधारण बस के लिए 50 पैसे प्रतिसीट और डीलक्स बस के लिए एक रुपये प्रतिसीट जो यथा स्थिति खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा."

(3) मद चार के उप-मद (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(छ) बिना अनुज्ञापत्र/प्राधिकार के चलाये जा रहे मोटरयान

1. टूरिस्ट यान या डीलक्स बस से भिन्न यान—

(क)	3 से अधिक किन्तु 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर).	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपये 125 प्रतिसीट प्रति मास.
(ख)	6 से अधिक किन्तु 12 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर).	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपये 250 प्रतिसीट प्रति मास.
(ग)	12 से अधिक किन्तु 29 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर).	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपये 600 प्रतिसीट प्रति मास.
(घ)	29 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर).	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपये 1000 प्रतिसीट प्रति मास.

2. टूरिस्ट यान/डीलक्स बस—

(क)	टूरिस्ट यान मोटर केब	रुपये 150 प्रतिसीट प्रति मास
(ख)	टूरिस्ट यान मेक्सी केब	रुपये 300 प्रतिसीट प्रति मास
(ग)	मोटर केब एवं मेक्सी केब से भिन्न पर्यटक यान/डीलक्स बस.	
	(i) दो तथा दो सीट व्यवस्था	रुपये 1600/- प्रतिसीट प्रति मास.

(ii)	दो तथा एक सीट व्यवस्था या वातानुकूलित बस किसी भी व्यवस्था की.	रुपये 1900/- प्रतिसीट प्रति मास.
(iii)	एक तथा एक सीट व्यवस्था	रुपये 2500/- प्रतिसीट प्रति मास.

(4) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार में स्पष्टीकरण (9) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण (10)—मद चार की उपमद (च) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) प्रयोजन के लिए टूरिस्ट यान में बैठने की व्यवस्था की अस्तित्व जांच (फिजिकल वेरिफिकेशन) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के उप नियम (10) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में प्रविष्टी की जायेगी और कराधान प्राधिकारी द्वारा या छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर इसका सत्यापन किया जायेगा."

5. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थात :—

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

"द्वितीय अनुसूची

[धारा 3 की उप धारा (1) का प्रथम परन्तुक]

	मोटरयानों का वर्णन (1)	जीवनकाल कर की दर (2)
1.	किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साईकिलें.	यान की कीमत का 4 प्रतिशत
2.	किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें—	
	(क) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक नहीं है	यान की कीमत का 5 प्रतिशत
	(ख) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक है	यान की कीमत का 6 प्रतिशत
3.	अशक्त यात्री गाड़ी	रुपये 360/-
4.	आटो-रिक्शा तिपहिया (लोक सेवा यान) जो किराया तथा पारितोषिक पर चलाई जा रही है और 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है.	
	(क) अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तों के, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाए, अधीन ऋण लेने के पश्चात् क्रय किये गये तथा उसके स्वामित्व में, के यान.	यान की कीमत का 2 प्रतिशत

(1)	(2)
(ख) उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किये गये तथा उनके स्वामित्व में, के यान.	यान की कीमत का 5 प्रतिशत
5. निजी उपयोग के लिए ओमनीबस जिसके बैठने की क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा 12 यात्रियों तक हो.	यान की कीमत का 6 प्रतिशत

स्पष्टीकरण :—

1. यान की कीमत से अभिप्रेत है व्यापारी द्वारा करों सहित वसूल की गई कीमत.

2. उपरोक्त यान के वर्ग के आधार पर जीवनकालिक कर की गणना करने के लिए यान स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह व्यापारी द्वारा दी गई विक्रय रसीद यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत करें.

3. आटो रिक्शा तिपहिया में लोकप्रिय रूप से मान्य टेम्पो, विक्रम आदि सम्मिलित है."

6. निरसन

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001), एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक 4831/21-/ प्रारुपण/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 22 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2001)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSODHAN) ACT, 2001

An Act further to amend Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 2001

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty second year of the Republic of Inida as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sansodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 22 of 2001).

Amendment of Section 3.

2. For the first proviso of sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following

proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the life time tax shall be levied at the rates specified in the Second Schedule in respect of motor vehicles specified therein."

Amendment of Section 14.

3. In sub-section (2) of Section 14 of the Principal Act, for the words 'first proviso of sub-section (1) of Section 3', the words "Second Schedule" shall be substituted.

Amendment of First Schedule.

4. (1) In the First Schedule of Principal Act, for sub-clause (i) (a) and (b) of clause (1), sub-clause (i) of clause (2), sub-clause (ii) (a) and (b) of clause (3) sub-clause (ii) of clause (4), of sub-item (d) of item IV the following sub-item shall be substituted, namely :—

"(d) vehicles permitted to carry more than six passengers plying as stage carriage on routes other than city routes :—

(1) In respect of vehicles permitted to ply as air-conditioned or deluxe or express service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the total distance permitted to be covered by the service in a day—

(i) does not exceed 100 kms.

(a)	for air-canditioned/deluxe service	Rs. 250/- per seat per month
(b)	for express service	Rs. 200/- per seat per month

(2) In respect of vehicles permitted to ply as ordinary service for every passenger which the vehicle is permited to carry and where the total distance permitted to be covered by a vehicle in a day—

(i) does not exceed 100 kms. — Rs. 160/- per seat per month

(3) In the respect of vehicles of other State permitted to ply as air-conditioned/deluxe or express service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the permit is countersigned—

(ii) without a reciprocal agreement :—

(a)	for air-conditioned/deluxe service	Rs. 40/- per seat per month plus Rs. 20/- for each 10 kms. or part thereof per seat per month.
(b)	for express service	Rs. 40/- per seat per month plus Rs. 15/- for each 10 kms. or part thereof per seat per month.

(4) In respect of vehicle of other State permitted to ply as ordinary service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the permit is countersigned—

(ii) without a reciprocal agreement— Rs. 40/- per seat per month plus Rs. 10/- for each 10 kms. or part thereof per seat per month."

(2) For sub-item (f) of item IV clause (1) and (6) the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) vehicle permitted to carry more than six passengers and plying as contract carriage covered by all India tourist permit issued by Chhattisgarh State under sub-section (9) of Sec. 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 for each seat (other than the driver) which the vehicle is permitted to carry—

(a) Tourist vehicle other than Maxi cab—

(i) having seating arrangements under sub-rule (10) of rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules 1989, with—

(a)	seating layout two and two	Rs. 800/- per seat per month
(b)	seating layout two and one	Rs. 950/- per seat per month
(c)	seating layout one and one	Rs. 1250/- per seat per month
(ii)	for air-conditioned tourist bus (with any permitted seating layout)	Rs. 950/- per seat per month
(b)	Tourist vehicle Maxi-cab—	Rs. 125/- per seat per month.

(6) vehicle permitted to carry more than six passengers and plying as contract carriage on temporary permit granted under clause (a) of sub-sec.(1) of Sec. 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 for each seat (other than the driver) which the vehicle is permitted to carry.	50 paise for ordinary bus and one rupee for deluxe/air conditioned bus per seat per 10 kms. or part thereof for the entire distance to be covered in accordance with the conditions of the permit, in addition to tax paid under clause (c), (d), (e) or (f) (2) as the case may be."

(3) For sub-item (g) of item IV the following sub-item shall be substituted, namely :—

"(g) Motor vehicles plying without permit/authorisation

1. Vehicle other than Tourist vehicle or Deluxe bus

(a)	Vehicle permitted to carry exceeding 3 but not exceeding 6 passengers (encluding driver).	Rs. 125/- per seat per month in accordance with entire registered seating capacity.
(b)	Vehicle permitted to carry exceeding 6 but not exceeding 12 passengers (encluding driver).	Rs. 250/- per seat per month in accordance with entire registered seating capacity.
(c)	Vehicle permitted to carry exceeding 12 but not exceeding 29 passengers (excluding driever).	Rs. 600/- per seat per month in accondance with entire registered seating capacity.
(d)	Vehicle permitted to carry exceeding 29 passengers (excluding driver).	Rs. 1000/- per seat per month in accordance with entire registered seating capacity.

2. Tourist vehicle/Deluxe bus

(a)	Tourist vechicle motor cab	Rs. 150/- per seat per month
(b)	Tourist vehicle maxi cab	Rs. 300/- per seat per month
(c)	Tourist vehicle/Deluxe bus other then motor cab & maxi cab having.	
	(i) seating layout two and two	Rs. 1600/- per seat per month
	(ii) Seating layout two and one or air-conditioned bus of any layout.	Rs. 1900/- per seat per month
	(iii) seating layout one and one	Rs. 2500/- per seat per month

(4) After Explanation (9) of item IV, the following explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation (10) :— for the purpose of sub-clause (a) of clause (1) of sub item (f), in item IV in column (1) the physical verification of seating layout in a tourist vehicle shall be done by the Taxation Authority under the provision of sub-rule (10) of rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and shall be entered in the certificate of registration and tax token and it shall be verified from time to time by the Taxation Authority or officers authorized by the State Government in this behalf under section 16 of Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991."

5. For the Second Schedule of the Principal Act the following Schedule shall be substituted, namely :—

Amendment of the Second Schedule.

"SECOND SCHEDULE
[See first proviso to sub section (1) of Section 3]

	Description of Motor vehicles (1)	Rate of life time tax (2)
1.	Motorcycles with or without attachment of any unladen weight.	4% of the cost of vehicle.
2.	Motor cars of any unladen weight—	
	(a) Cost of which does not exceed rupees five lacs.	5% of the cost of vehicle.
	(b) Cost of which exceeds rupees five lacs.	6% of the cost of vehicle.
3.	Invalid Carriage	Rs. 360/-
4.	Auto-rickshaw three wheelers (Public Service Vehicle) plying for hire and reward and permitted to carry not more than six passengers—	
	(a) Vehicle purchased after taking loans under various schemes and conditions as decided by the State Government by its notification, from time to time and owned by any person belonging to scheduled castes, scheduled tribes, other back-ward classes and minority community.	2% of the cost of vehicle.

(1)	(2)
(b) Vehicle purchased and owned by the person other than the person mentioned in (a) above.	5% of the cost of vehicle.
5. Omnibus registered for private use having seating capacity exceeding 6 and up to 12 (excluding driver).	6% of the cost of vehicle.

Explanation :—

1. Cost of vehicle means cost including tax realized by the dealer.

2. For calculating the life time tax on the basis of the above class of vehicle, the owner of the vehicle shall be required to produce sale receipt issued by the dealer at the time of the registration of vehicle.

3. Auto-rickshaw three-wheeler includes vehicles popularly known as Tempo, Vikram etc."

6. Repeal and Saving

The Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sansodhan), Adhyadesh 2001. (No. 3 of 2001) is, hereby repealed.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.